महाविद्यालय विकास परिषद की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त
दिनांक 21 मई 2015, सुबह 11:00 बजे

महाविद्यालय विकास परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 21 मई 2015 को सुबह 11:00 बजे कुलपति के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. टी.बी.सुब्बा - अध्यक्ष
   कुलपति
2. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग - सदस्य
   डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ
3. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान - सदस्य
   डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ
4. डॉ. धनीराज छेत्री - सदस्य
   डीन, छात्र कल्याण
5. डॉ. लिली एली - सदस्य
   प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग
6. डॉ. सुजाता बस्नेत - सदस्य
   प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महविद्यालय, रिनॉक
7. डॉ. रबींद्र छेत्री - सदस्य
   प्राचार्य (प्रभारी), सिक्किम सरकारी महविद्यालय, ग्यालशिंग
8. डॉ. पी.के.मिश्रा - सदस्य
   प्राचार्य, डंबर सिंह महाविद्यालय, तादोंग
9. फादर (डॉ.) डेनियल बारा, एसजे. - सदस्य
   प्राचार्य, लोयोला शिक्षा महाविद्यालय
10. श्री टी.के. कौल _ सचिव
    कुलसचिव

डॉ. देवाशीष चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक और डॉ. सुरेश कुमार गुरुंग, उप कुलसचिव (शैक्षणिक) बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहें।

अध्यक्ष ने महविद्यालय विकास परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने नए सदस्यों, जिन्होंने सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, रिनॉक और सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग के प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, का परिचय कराया। इसके बाद एजेंडा में उल्लेखित विषयों पर चर्चा की गई।

खंड – 1

कार्यवृत्त की संपुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

सीडीसी.3.1.1: दिनांक 30 अक्टूबर 2014 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि

30 अक्टूबर 2014 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रसारित किए गए थे। डंबर सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि उन्हें कार्यवृत्त की प्रति नहीं मिली है, हालांकि अन्य सदस्यों ने बताया कि उन्हें कार्यवृत्त की प्रति मिली थी। चूंकि किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली थी, इसलिए 30 अक्टूबर 2014 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

सीडीसी.3.1.2: दिनांक 30 अक्टूबर 2014 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त पर ली गई कार्रवाई रिपोर्ट

अध्यक्ष ने सचिव को महाविद्यालय विकास परिषद की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके बाद सचिव द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

सदस्यों में से एक ने बताया कि कुछ महाविद्यालयों ने विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार व्यावहारिक परीक्षकों के लिए बाहरी परीक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया। यह निर्णय लिया गया कि महविद्यालय विश्वविद्यालय के भुगतान मानदंडों के अनुसार बाहरी परीक्षकों को मानदेय का भुगतान करेगा।

खंड – 2

रिपोर्टिंग से संबन्धित मुद्दे

सीडीसी 3.2.1 बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम को जारी रखना

अध्यक्ष ने सूचित किया कि अधिकांश स्नातक पाठ्यक्रमों को 2012 से ऑनर्स कार्यक्रम में बदल दिया गया था। लेकिन बीए-एलएलबी कार्यक्रम में इस तरह का रूपांतरण नहीं हुआ और आगे भी उसी तरह चलता रहा। विश्वविद्यालय ने 2014 से बीए-एलएलबी कार्यक्रम को बीए-एलएलबी (ऑनर्स) कार्यक्रम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन निरीक्षण पर बीसीआई के नियमावली बीए-एलएलबी और बीए-एलएलबी (ऑनर्स) कार्यक्रमों को अलग-अलग संस्थाओं के रूप में मानता है, विश्वविद्यालय शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के लिए बीए-एलएलबी के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा और इस पाठ्यक्रम में बीए-एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए बीसीआई को भी आवेदन करेगा। तब तक बीए-एलएलबी कार्यक्रम जारी रहेगा। महाविद्यालय विकास परिषद ने विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी कार्यक्रम जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सीडीसी3.2.2 पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए विशेष योजना "ईशान उदय"

अध्यक्ष ने बताया कि प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, माझीटार द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार सात छात्रों ने पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना "इशान उदय" के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरकर जमा किया है। डॉ. लिली एली ने यह कहते हुए जोड़ा कि सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग के लगभग 179 और सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक के 11 छात्रों ने प्रपत्र जमा किया था। डॉ. सुजाता बस्नेत ने यह भी बताया कि उनके महविद्यालय के लगभग 13 छात्रों ने प्रपत्र जमा किया। डॉ. लिली एली ने यह भी बताया कि स्टांप पेपर के स्थान पर छात्रों ने एचआरडीडी द्वारा उपलब्ध कराये गए हरे कागज पर रु. 50 के स्टैम्प लगाकर उपयोग किया है।

सीडीसी3.2.3 चीनी भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की अस्थायी संबद्धता

अध्यक्ष ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2014-15 से मुख्यालय 63 माउंटेन ब्रिगेड के मानव संसाधन विकास केंद्र में चीनी भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की। हालांकि, उन्होंने बार-बार याद दिलाने के बावजूद विश्वविद्यालय के लिए संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया। यह सूचित किया गया था कि सेना के मुख्यालय ने चीनी पाठ्यक्रम के लिए मुख्यालय 63 माउंटेन ब्रिगेड को अनुमति नहीं दी थी। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय को चीनी भाषा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए दी गई संबद्धता को वापस लेना आवश्यक है।

खंड – 3
अनुसमर्थन से संबन्धित विषय

शून्य

खंड – 4
विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु विषय

सीडीसी.3.4.1: शासकीय निकाय/सलाहकार समिति के लिए अध्यादेश

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि विश्वविद्यालय के संविधि 31 (1) (i) के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित और अनुरक्षित नहीं किए गए महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए शासकीय निकाय का गठन अनिवार्य है और किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान के शासकीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों/संस्थानों पर यह स्थिति लागू नहीं है। हालांकि, उनके पास सलाहकार समिति होगी, जिसमें पंद्रह से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे, जिनमें महाविद्यालय के प्राचार्य सहित तीन शिक्षक, और कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक शामिल होंगे।

अध्यक्ष ने आगे बताया कि उपरोक्त के मद्देनजर विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों के शासकीय निकाय पर मसौदा अध्यादेश बनाने के लिए डॉ. पी.एल. महापात्र, प्राचार्य, हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय, डॉ. डैनियल बारा एसजे, प्राचार्य, लोयोला शिक्षा महाविद्यालय और डॉ. सुरेश कुमार गुरुंग, उपकुलसचिव (शैक्षणिक) को लेकर तीन-सदस्यीय एक समिति का गठन किया। इसके बाद अध्यादेश का मसौदा पर चर्चा के लिए रखा गया था।

मसौदा अध्यादेश जैसा कि अनुबंध - 4 में रखा गया था, खंड-वार पर चर्चा की गई थी। कुछ सुधार/संशोधन किए गए थे। इसके बाद महाविद्यालय विकास परिषद ने अनुलग्नक-4 के अनुसार संशोधित अध्यादेश को अनुमोदन हेतु संस्तुत किया है।

सीडीसी.3.4.2: दो वर्षीय बी.एड/एम.एड पाठ्यक्रम के लिए मसौदा पाठ्यक्रम विवरणिका

अध्यक्ष ने सूचित किया कि एनसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 से दो साल का बी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय को पत्र लिखा। तदनुसार, विश्वविद्यालय ने बी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित करनेवाले सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और कुछ बाहरी सदस्यों को लेकर एक समिति का गठन किया।

चर्चा के बाद परिषद ने बी.एड. और एम.एड. पाठ्यक्रम विवरणिका में लघु सुधार के साथ अनुमोदन के लिए शैक्षणिक परिषद को सिफ़ारिश की गई।

सीडीसी.3.4.3: महाविद्यालयों को अस्थायी संबद्धता प्रदान

अध्यक्ष ने सूचित किया कि यूजीसी (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की धारा 4.10 के तहत और विश्वविद्यालय अध्यादेश की धारा 13 के तहत अस्थायी रूप से सम्बद्ध महाविद्यालयों का प्रति वर्ष संबद्धता के नवीकरण के लिए विधिवत रूप से गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। तदनुसार, प्रत्येक आठ महाविद्यालयों के लिए निरीक्षण दल का गठन किया गया और निरीक्षण 20 अप्रैल से शुरू किया गया और 29 अप्रैल 2015 को पूरा हुआ।

अध्यक्ष ने निरीक्षण टीमों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद परिषद ने निरीक्षण रिपोर्टों पर विचार किया। निरीक्षण दल की सिफारिशों के आधार पर परिषद ने निम्नानुसार सिफारिश की;

1. सिक्किम सरकारी बी.एड महविद्यालय, सोरेंग :
   i) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए निरीक्षण समिति की सिफारिश को मंजूरी दी।
   ii) महाविद्यालय तत्काल एनसीटीई मानदंड के अनुसार शिक्षण संकायों की नियुक्ति करेगा।

iii) विश्वविद्यालय को सचिव, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार को एनसीटीई मानदंडों के अनुसार महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता के बारे में अवगत कराना है।

2. हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार, रंगपो :

i) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए निरीक्षण समिति की सिफ़ारिशों को अनुमोदित किया है।

3. डंबर सिंह महाविद्यालय, तादोंग :

i) अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि महाविद्यालय परीक्षाधीन है। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से कुछ प्रयास होना चाहिए। प्राचार्य ने बताया कि प्रबंधन योग्य शिक्षकों को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन जैसे ही वे नेट/एसएलईटी उत्तीर्ण करते हैं वे अन्य महाविद्यालयों में शामिल हो जाते हैं। छात्रों की संख्या कम होने के कारण शिक्षकों की संख्या कम होने की समस्या भी है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में यह अनुपात 1: 8 है।

ii) अध्यक्ष ने प्राचार्य को महाविद्यालय के संबंध में शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव को भी याद दिलाया।

iii) परिषद ने विश्वविद्यालय को महाविद्यालय के बारे में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के बारे में सूचित करते हुए निदेशक, डंबर सिंह महाविद्यालय को एक पत्र लिखने की सलाह दी।

iv) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए निरीक्षण समिति की सिफारिश को मंजूरी दी।

4. सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग :

i) अध्यक्ष ने सूचित किया कि महाविद्यालय में योग्य शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं है और उन रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग के प्राचार्य ने सूचित किया कि मानव संसाधन विभाग, सिक्किम सरकार सभी महाविद्यालयों के लिए नियमित नियुक्ति के लिए 136 शिक्षण पदों के लिए विज्ञापन देने जा रहा है।

ii) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए निरीक्षण समिति की सिफारिश को मंजूरी दी।

iii) इसके अलावा, परिषद ने विश्वविद्यालय के प्रधान सचिव, एचआरडीडी को महाविद्यालय में नियमित संकाय सदस्यों की कमी के बारे में लिखने की सलाह दी।

5. सिक्किम सरकारी महविद्यालय, रिनॉक :

i) अध्यक्ष ने गणित और सांख्यिकी में शिक्षकों के मुद्दे को उठाया। प्राचार्य ने बताया कि पदों को मंजूरी दे दी गई है और सरकार जल्द ही पदों के लिए विज्ञापन देगी।

ii) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए निरीक्षण समिति की सिफारिश को मंजूरी दी।

iii) परिषद ने विश्वविद्यालय को प्रधान सचिव, एचआरडीडी को महाविद्यालय में नियमित संकाय सदस्यों की कमी के बारे में पत्र लिखने की सलाह दी।

6. सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, नामची :

i) अध्यक्षा ने बताया कि महाविद्यालय ने स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन किया है, लेकिन यूजीसी (विश्वविद्यालयों द्वारा कॉलेजों की संबद्धता) विनियम, 2009 के अनुसार 2012 में संशोधन में कहा गया है कि स्थायी संबद्धता के प्रस्ताव पर विचार के लिए नैक (एनएएसी) द्वारा महाविद्यालय की मान्यता अनिवार्य है । नामची सरकारी महाविद्यालय को अब तक नैक (एनएएसी) द्वारा मान्यता नहीं मिली है।

ii) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए निरीक्षण समिति की सिफारिश को मंजूरी दी।

iii) परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रधान सचिव, एचआरडीडी को महाविद्यालय में नियमित संकाय सदस्यों की कमी के बारे में पत्र लिखे जाने की सलाह दी।

7. पाकिम पैलेटाइन महाविद्यालय, पाक्योंग :

i) एक और निरीक्षण दल भेजने के लिए निरीक्षण दल की सिफारिश उचित नहीं है क्योंकि थोड़े समय के भीतर बुनियादी ढांचे और शिक्षण संकाय की नियुक्ति के मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

ii) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की सिफारिश की।

iii) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए छात्रों को इस शर्त के अधीन दाखिला लेने की अनुमति भी दी कि यदि अप्रैल 2016 तक योग्य शिक्षण संकाय की भर्ती में असफल रहे तो अनुमति वापस ले ली जाएगी।

8. सिक्किम सरकारी महविद्यालय, बुर्तुक :

i) परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए निरीक्षण समिति की सिफारिश को मंजूरी दी।

ii) परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रधान सचिव, एचआरडीडी को महाविद्यालय में नियमित संकाय सदस्यों की कमी के बारे में पत्र लिखे जाने की सलाह दी।

सीडीसी.3.4.4: सीबीसीएस एयर एमएसक्यूएफ़ पर समिति की रिपोर्ट

अध्यक्ष ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय ने सीबीसीएस और एनएसडीएफ पर दिशानिर्देशों का अध्ययन करने और शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ कार्रवाई की योजना का सुझाव देने के लिए डॉ. देबाशीष चौधरी, परीक्षा नियंत्रक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

परिषद ने सीबीसीएस और एनएसक्यूएफ़ पर समिति की सिफारिश पर विचार किया और शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के लिए सिफारिश की चर्चा के बाद।

खंड – 5
अध्यक्ष की ओर से विषय

सीडीसी.3.5.1: जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में 2 सीटों का आरक्षण

अध्यक्ष ने बताया कि यूजीसी ने विश्वविद्यालय से सिक्किम विश्वविद्यालय और इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2015-16 से अधिसंख्य कोटा के अधीन प्रत्येक सत्र में 2 सीट आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया है और अधिवास की छूट आदि की आवश्यकता को छोडकर रियायत जैसे 10% प्रतिशत तक कटौती की छूट प्रदान करने के लिए निवेदन किया है।

परिषद ने प्रस्ताव को अनुमोदित किया और शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ सिफ़ारिश किया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता/-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव

हस्ता/-
(टी.बी.सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष